मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांकः एफ 31–12/2010/दो ए (3)　　　　　　भोपाल, दिनांक 24 01/2017

प्रति,

समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषयः सेना भर्ती रैली के आयोजन हेतु दिशा निर्देश ।

1. मध्यप्रदेश राज्य के लिए प्रतिवर्ष लगभग 3000 तक रिक्तियां सेना के विभिन्न पदों में भर्ती के लिए सेना मुख्यालय द्वारा निर्धारित की जाती है । मध्यप्रदेश राज्य असैनिक क्षेत्र होने के कारण तथा अभी भी दूर दराज के क्षेत्रों को सैन्य सेवा का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण पदों की रिक्तियां पूरी तरह नहीं भरी जाती है । इस वर्ष रिक्तियां बढ़ने की अपेक्षा है ।

2. मध्यप्रदेश राज्य में सेना भर्ती कार्यालय के और सिविल प्रशासन के द्वारा जिला स्तर पर सेना भर्ती रैलियों का आयोजन किया जाता है । शासन के ध्यान में आया है कि सेना भर्ती के दौरान सिविल प्रशासन का अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण भर्ती कार्य सुव्यवस्थित एवं सुगमतापूर्वक नहीं हो पाता है । वर्तमान वर्ष में सैनिकों की ज्यादा से ज्यादा रिक्तियां खुलने के कारण यह बहुत आवश्यक है ।

भर्ती प्रक्रिया की रूप रेखा

3. सामान्य रैली का आयोजन चार से पांच दिवस के अंदर किया जाता है । राज्य के विभिन्न जिलों के लिए तिथि का निर्धारण क्षेत्रीय भर्ती कार्यालय जबलपुर द्वारा किया जाता है । इसके उपरान्त जिलाधीश से अनुमोदन लिया जाता है । रैली का आयोजन निम्नानुसार किया जाना होगा :–

(क) प्रतिदिन दिन – शारीरिक परीक्षण एवं चिकित्सा परीक्षण (जिले अनुसार) किया जावेगा ।

शारीरिक परीक्षण में निम्नलिखित शाामिल है :–

शारीरिक परीक्षण में निम्नलिखित शामिल है ।

5. 1.6 किलोमीटर दौड़
6. चिनप
7. बैंलेस
8. 9 फीट लम्बी कूद

(ख) उपरोक्त दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिया जाता है और लिखित परीक्षा की तारीख एवं जगह उम्मीदवारों को बता दिंया जावेगा ।

4. उम्मीदवारों की संख्या के अनुसार शारीरिक एवं चिकित्सा परीक्षण प्रतिदिन सुबह पांच बजे आरंभ किया जाता है ।

5. परीक्षणों की व्यवस्था संचालक सेना भर्ती मध्यप्रदेश एवं बाहर से आये सैन्य दलों द्वारा किया जावेगा ।

6. राज्य में सेना भर्ती रैली को सफलता पूर्वक आयोजन हेतु सैन्य भर्ती दल को राज्य शासन/जिला प्रशासन द्वारा निम्नलिखित सहायता प्रदाय की जावेगी ।

जिलाध्यक्ष :–

(क)	विश्राम गृह/आवास व्यवस्था	–	सत्कार अधिकारी
(ख)	प्रचार प्रसार व्यवस्था	–	जनसंम्पर्क/शिक्षा अधिकारी
(ग)	कार/जीप	–	सत्कार अधिकारी
(ध)	चिकित्सा व्यवस्था	–	मुख्य चिकित्सा अधिकारी
(च)	पानी बिजली, दमकल वाहन, जनरेटर एवं अन्य व्यवस्था	–	नगर निगम/स्थानीय निकाय

पुलिस अधीक्षक :–

(क)	रैली का स्थान (परेड/खेल कूद का मैदान) एवं स्थान का चिन्हांकन	– जिलाध्यक्ष/पुलिस अधीक्षक
(ख)	सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस की आवश्यकता	– पुलिस अधीक्षक
(ग)	एक बड़े एवं एक छोटे वाहन की व्यवस्था (स्टाफ एवं सामान हेतु)	– तदैव

7. **रैली स्थान :–**

विभिन्न स्थानों से भर्ती के लिए आने वाले उम्मीदवारों के ठहरने एवं शारीरिक परीक्षण को दृष्टि में रखते हुए रैली स्थान की व्यवस्था परेड ग्राउन्ड या उपयुक्त खेल कूद के मैदान जहां पर कम से कम चार सौ मीटर का ट्रेक मोजूद हो जिला पुलिस प्रशासन द्वारा किया जावेगा ।

8. **रैली आयोजन दल के ठहरने की व्यवस्था :–** सामान्यतः भर्ती रैली दल में 3 वरिष्ठ अधिकारी, 6 कर्नल/मेजर, 13 कनिष्ठ अधिकारी, एवं 70 जवान होते है । यह दल अन्य जिलों से आवेगें । अतः इन सैन्य अधिकारियों के जवानों के ठहरने की उचित व्यवस्था रैली स्थान के नजदीक जिला प्रशासन द्वारा की जावेगी ।

9. उम्मीदवारों के शारीरिक परीक्षण के लिए चिकित्सक रैली के दौरान एक सिविल चिकित्सक एम्बुलेंस के साथ होना अति आवश्यक है । चिकित्सक एवं एम्बुलेंस का बंदोबस्त जिला चिकित्सालय द्वारा किया जावेगा ।

10 **पानी, बिजली एवं अन्य व्यवस्था** :- भर्ती रैली दल के लिए बैठक (कुर्सी, टेबल एवं अन्य) व्यवस्था रैली स्थान पर विभिन्न स्थानों से आये उम्मीदवारों के लिए पेय जल की व्यवस्था एवं भर्ती दल के लिए बिजली व्यवस्था जनरेटर सहित नगर पालिका, स्थानीय निकाय के द्वारा किया जावेगा।

11. **पुलिस सुरक्षा** :- रैली स्थान पर उम्मीदवारों के आवागमन एवं रैली स्थान की सुरक्षा व्यवस्था जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रदान की जावेगी।

12. **प्रचार/प्रसार** :- भर्ती रैली का प्रचार/प्रसार जिला शिक्षा अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी द्वारा संपादित किया जावेगा।

13. **वाहन व्यवस्था** :- भर्ती स्टाफ के ठहरे हुए स्थान से रैली स्थान तक के आवागमन हेतु एक वाहन की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा किया जावेगा।

14. **क्रमबद्ध कार्य** :- रैली तिथि का निर्धारण जिला प्रशासन के सुविधानुसार कम से कम 1 से 2 माह पूर्व निर्धारित की जाना चाहिए जिससे आगन्तुक दल को सूचित किया जा सके एवं दूर दराज के गाँवों तक रैली के प्रचार प्रसार के लिए पर्याप्त समय मिल सकें।

15. **ठहरने की एवं वाहन व्यवस्था** :- रैली शुरु होने के 02 दिन पूर्व से किया जावे एवं इसकी सूचना भर्ती अधिकारी, सैनिक भर्ती कार्यालय को दिया जावे ताकि आगन्तुक स्टाफ को सूचित किया जा सकें।

16. रैली स्थान का चिन्हानकन कर रैली 2 दिन पूर्व भर्ती दल के अधिकार में दे दिया जावे ताकि स्थान को चिन्हान्कित किया जा सके।

17. रैली की जगह पर शामियाना एवं कनात की व्यवस्था हो। सर्दियों में मेडीकल जॉच की व्यवस्था खुले मैदान के बजाय किसी भवन में होगी। जैसे कि स्कूल भवन या सामुदायिक भवन आदि।

18. **टेलीफोन व्यवस्था** :- रैली की जगह पर अस्थायी तौर पर टेली फोन की व्यवस्था की जाए जिसमें एस टी डी सुविधा हो।

19. रैली के दौरान लाउड स्पीकर की व्यवस्था हो जिससे की भीड़ को व्यवस्थित किया जा सके।

20. भर्ती रैली का आयोजन भर्ती कार्यालय द्वारा स्थानीय प्रशासन की सहमति से की जावेगी। बजट खर्चे की व्यवस्था रैली आयोजित करने वाले विभाग/संस्था द्वारा वहन की जावेगी।

21. सेना भर्ती पूर्ण रुपेण से सिविल प्रशासन पर निर्भर है। बिना प्रशासन की सहायता से यह कार्य सम्पादित होना असम्भव है। सेना भर्ती कार्यालय का दायित्व है कि शासन से मिलने वाले रिक्तियों को पूर्ण उपयोग में लाएँ । यह तभी सम्भव है जब दिशा निर्देश में दिए गए दायित्यों का सभी सस्थाओं/संबंधितों द्वारा पालन किया जावे।

सचिव
म. प्र. शासन, गृह विभाग

पृ. क्र. एफ 31–12/2010/दो ए (3) भोपाल दिनॉक 24 01/2017

प्रतिलिपि :–

1. संचालक सैनिक कल्याण म.प्र. भोपाल
2. समस्त पुलिस अधीक्षक म.प्र.
3. समस्त आयुक्त नगर निगम म.प्र.
4. समस्त मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी म. प्र.
5. समस्त जिला जन सम्पर्क अधिकारी म. प्र.
6. समस्त जिला सत्कार अधिकारी म. प्र.
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म. प्र.
8. समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी म. प्र.

– की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

सचिव
म. प्र. शासन, गृह विभाग